ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRYAND DAIRYING
DEPARTMENT OF FISHERIES

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. 256
TO BE ANSWERED ON 19TH MARCH, 2021

WELFARE PACKAGES FOR FISHING COMMUNITY

***256: Shri Abdul Wahab**

Will the Minister of ***Fisheries, Animal Husbandry and Dairying*** be pleased to state:

(a) whether Government is committed to the welfare of fishing communities in the coastal regions;

(b) if so, the effort made by Government for the welfare of the fisherman community in Kerala; and

(c) whether Government is willing to consider a special subsidy in petrol and diesel for the fishing boats in the light of the continued hike in petrol and diesel prices that has burdened the expenses of the fishing community?

ANSWER

THE MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(SHRI GIRIRAJSINGH)

(a) to (c): A Statement is placed on the Table of the House.

*****

Statement referred to in reply to the Rajya Sabha Starred Question No. 256 put in by Shri Abdul Wahab, Member of Parliament for answer on 19th March, 2021 regarding Welfare packages for fishing community

(a) and (b): Yes, Sir. The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying is committed to provide requisite impetus towards the holistic development of fisheries sector with socio economic wellbeing and welfare of fishermen in the country including fishing community in the coastal region. The Government of India, since 2015 under the scheme 'Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries' and 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)' has been supporting following activities for welfare of fishermen community in coastal regions including State of Kerala:

(i) Insurance cover for fishers, fish farmers, fish workers
(ii) Insurance for fishing vessels
(iii) Livelihood support during fishing ban/lean period
(iv) Housing for fishers
(v) Supply of boats and nets to traditional fishermen and
(vi) Safety kits for traditional and motorized fishing vessels
(vii) Supply of communications and Potential Fishing Zones devicesfor traditional motorized boats
(viii) Engagement of *Sagar Mitras* in coastal villages
(ix) Support for acquisition of technologically advanced fishing vessels for traditional fishermen
(x) Establishment of wholesale fish markets
(xi) Up-gradation of existing fishing vessels
(xii) Open sea cage culture, ornamental fisheries, seaweed cultivation for creating alternative employment opportunities to coastal communities
(xiii) Integrated modern fishing villages
(xiv) Development of Fishing Harbours, landing centres, cold chain facilities, transport vehicles, marketing etc.

The Government of India has sanctioned funds amounting to Rs. 39545.84 lakh from 2015-16 to 2020-21 (till date) for State of Kerala for supporting above-mentioned activities which includes amount of Rs. 28178.54 lakh under Blue Revolution scheme from 2015-16 to 2019-20 and amount of Rs. 11367.30 lakh under PMMSY in 2020-21 based on proposals received from State of Kerala.

(c): The Department of Fisheries promotes utilization of alternate source of energy like solar and wind energy in fisheries sector for purpose of power auxiliary units on board the marine fishing boatsto help in reducing fossil fuel consumption and encourage environment friendly fishing practices.

*****

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 256
दिनांक 19 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

मछुआरा समुदाय के कल्याण हेतु पैकेज

*256: **श्री अब्दुल वहाब**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तटवर्ती क्षेत्रों के मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो केरल में मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार मछुआरा समुदाय पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में निरंतर वृद्धि के कारण खर्चों के बढ़ते बोझ को देखते हुए मछली पकड़ने वाली नावों हेतु पेट्रोल और डीजल में विशेष राजसहायता प्रदान करने पर विचार करेगी?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

******

मछुआरा समुदाय के कल्याण हेतु पैकेज के संबंध में श्री अब्दुल वहाब, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *256 के उत्तर में निर्दिष्ट कथन

(क) और (ख): जी हां। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के साथ ही तटवर्ती क्षेत्र के मछुआरा समुदाय समेत देश के समस्त मछुवारों की सामाजिक-आर्थिक भलाई एवं कल्याण के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा 2015 से 'नीली क्रांति : मात्स्यिकी के एकीकृत विकास एवं प्रबंधन'' की योजना तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) के अन्तर्गत केरल राज्य सहित तटवर्ती क्षेत्रों में मछुआरा समुदाय के कल्याण हेतु निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही हैं :

(i) मछुआरों, मछली किसानों, मछली कामगारों के लिए बीमा सुरक्षा

(ii) मत्स्यन जलयानों के लिए बीमा

(iii) मत्स्यन पर लगे प्रतिबंध/मंदी अवधि के दौरान आजीविका सहायता

(iv) मछुआरों के लिए आवास

(v) परंपरागत मछुआरों के लिए नौकाओं एवं जाल की आपूर्ति

(vi) परंपरा तथा मोटर चालित मत्स्यन नौकाओं के लिए सुरक्षा किटें

(vii) परंपरा मोटर चालित नौकाओं के लिए संचार यंत्र तथा सम्भावित मत्स्यन जोन डिवाइस की आपूर्ति

(viii) टवर्ती गांवों में सागर मित्रों की नियुक्ति

(ix) परंपरा मछुआरों को प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत मत्स्यन जलयानों हेतु सहायता

(x) थोक मछली बाजारों की स्थापना

(xi) मौजूदा मत्स्यन जलयानों का अपग्रेडेशन

(xii) टवर्ती समुदाय के लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए खुले समुद्र में केल्चर, सजावटी मत्स्य पालन, शैवाल (सी-वीड) कृषि

(xiii) एकीकृत आधुनिक मत्स्यन गांवों का विकास

(xiv) मत्स्यन बन्दरगाहों, मछली लैंडिंग केन्द्र, कोल्ड-चेन सुविधाओं, परिवहन वाहन विपणन आदि का विकास, आदि।

भारत सरकार ने 2015-16 से 2020-21 (आज की तारीख तक) केरल राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य के लिए उपर्युक्त गतिविधियों को सहायता देने के लिए 39,545.84 लाख रूपये की निधियां संस्वीकृत की हैं, जिनमें 2015-16 से 2019-20 तक नीली-क्रांति योजना के अन्तर्गत 28,178.54 लाख रूपये तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) के अन्तर्गत 2020-21 में 11,367.30 लाख रूपये की राशि शामिल हैं।

(ग) : मत्स्य पालन विभाग, मात्स्यिकी क्षेत्र में जीवाश्म इंधन की खपत को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल मत्स्यन को प्रोत्साहित करने के लिये मछली पकड़ने की समुद्री नौकाओं पर पावर अनुषंगी इकाइयों के प्रयोग से सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देता है।

*****

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 256. Shri Abdul Wahab; not present. Any supplementary? Shri Subhas Chandra Bose Pilli.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Hon. Deputy Chairman, Sir, in Andhra Pradesh alone, there are lakhs of such families who survive on fishing and are doing it for generations. May I know from the hon. Minister the steps taken to increase the income of fishermen? Also, Sir, many times, the fishermen get carried away by water currents and receive injuries leading to disability or even death. I would like to know from the hon. Minister whether the Government provides or proposes to provide any kind of support to fishermen who get injured or lost their lives due to occupational risks.

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, वैसे तो यह प्रश्न केवल केरल और तटवर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, लेकिन आन्ध्र प्रदेश में Central Assistance के रूप में 5,361 लाख रुपए release किए गए हैं। हमने जो assistance release की है, वह मछुआरों के हित के लिए की है। The assistance was provided for bringing 401.8 hectares under aquaculture.

महोदय, इन्होंने खास कर प्रश्न पूछा है कि समुद्र में जो मछुआरे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। विषय और प्रश्न, दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं एक आग्रह करूँगा, क्योंकि यह प्रश्न सदन के सामने आया है, यह जो प्रश्न था, वह diesel subsidy के बारे में था। आज देश के अन्दर जो मछुआरे समुद्र के अन्दर जाते हैं, वे जोखिम भरी जिन्दगी जीते हैं। उनकी जिन्दगी की quality नहीं होती है, वहाँ motorized प्रदूषण होता है। अब हमने इसके लिए दो चीजों पर काम करना शुरू किया है। एक तो cage culture है। देश के अन्दर जो 8 हजार किलोमीटर का समुद्री तट है, उसमें हमने लगभग 46 हजार हेक्टेयर से ज्यादा स्थिर पानी को चिह्नित किया है। हमने cage culture के माध्यम से यह पहला काम किया है। हमने दूसरा काम यह किया है कि अब हम उनको device दे रहे हैं, technology से जोड़ रहे हैं और जितने harbours हैं, उनको हम end-to-end solutions से जोड़ रहे हैं, जिससे उनको post-harvest में भी मदद हो। उनको device देने से यह होगा, navigation से यह होगा कि उनको पहले से मालूम होगा कि आगे कोई खतरा तो नहीं आ रहा है।

श्री उपसभापति : माननीय जयप्रकाश निषाद जी।

श्री जयप्रकाश निषाद : उपसभापति महोदय, तेलंगाना से सम्बन्धित उन गंगा-पुत्र मछुआरों के विषय में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि गंगा-पुत्र तेलंगाना के मछुआरे, जो जन्मजात

मछली का आखेट करते आए हैं, इनके अधिकार छीने जा रहे हैं, दूसरे लोग इनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : जयप्रकाश जी, आप संक्षेप में सवाल पूछिए। माननीय मंत्री जी उत्तर भी संक्षेप में देंगे।

श्री जयप्रकाश निषाद : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उनका अधिकार सुरक्षित रहे, क्या उसके लिए सरकार ऐसा कोई कानून लाएगी?

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने यह vague विषय उठाया है। अगर कोई ऐसी बात है, तो वे लिखित में दें। मैं राज्य सरकार को इसके लिए कहूंगा। राज्य सरकार के अधीन कई ऐसे कानून आते हैं, जैसे नदियों से जुड़े हुए विषय अथवा समुद्र में 12 nautical miles से जुड़े हुए विषय। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य कुछ पर्टिकुलर विषय लिख कर दें, उसके बाद मैं राज्य सरकार से बात करूंगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय उपसभापति महोदय, जो तटवर्ती मछुआरे हैं, उनको डीज़ल और पेट्रोल में छूट देने या सब्सिडी देने की बात प्रश्न में पूछी गई है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया है। चूंकि मछुआरों की नाव में, उनके स्टीमर्स या उनकी बोट्स में डीज़ल या पेट्रोल

लगता है, लेकिन उनको यह देने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है।...**(व्यवधान)**..

श्री उपसभापति : निषाद जी, आप सवाल पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : हम यह पूछना चाहते हैं कि ये जो समुद्री मछुआरे हैं, जिनको मछली किसान भी कहा गया है, क्या इनको आप कृषि किसान का दर्जा देंगे?

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, एक तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अपने उत्तर में मैंने यह दिया है। केरल के माननीय सदस्य श्री अब्दुल वहाब ने यह विषय रखा था कि केरल में मछुआरों को 125 लीटर डीज़ल दिया जाता है।

महोदय, अभी हमने लक्षद्वीप में एक प्रयोग किया है, जिसको अन्य राज्य सरकारों के माध्यम से अन्य जगहों पर भी हम करना चाह रहे हैं। Wind-solar hybrid energy system, जो wind से भी चलता है और solar energy से भी चलता है, इससे प्रतिदिन पांच से छः लीटर डीज़ल बचता है और साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा, सदन इस बात को तय करे कि जब हम जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हैं, प्रदूषण निवारण की चर्चा करते हैं,

quality life की चिन्ता करते हैं, ऐसे में हम केवल केरोसिन या डीज़ल की मात्रा को न बढ़ा कर, alternative arrangement की ओर जा रहे हैं।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 257.